भोजा बनाम सरकार
13 / 2024 (रे0वाद)
निर्णय दिनांक 05 / 02 / 2025

निर्णय बइजलास अर्चना चौधरी, सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द (राजस्थान)

प्रकरण संख्या – 13 / 2024(रे0वाद)
दायर दिनांक – 06 / 03 / 2024
निर्णय दिनांक – 05 / 02 / 2025

अनवान

1. जीतमल पिता गुलाब जाति बावरी निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द –वादी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द
2. कमली पुत्री गुलाब जाति बावरी निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. चुनीबाई पत्नि गुलाब जाति बावरी निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. मांगु पिता गुलाब जाति बावरी निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. मोहन पिता गुलाब जाति बावरी निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. सोवनी पुत्री गुलाब जाति बावरी निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार

वाद पत्र :–अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धरा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया कि वादी की भूमि राजस्व ग्राम ताल पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ जिला राजसमन्द की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2076 के खाता संख्या 179 आराजी नम्बर 448, 449, 450, 451 कुल किता 04 कुल रकबा 1.5100 हैक्टेयर स्थित होकर वादी की संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है जो उत्तराधिकारी में वादी संयुक्त रूप से मिली होकर संयुक्त स्वामित्व आधिपत्य की है। किन्तु वादी के पिता गुलाब पिता सोला कि मृत्यु के बाद राजस्व रेकॉर्ड में विरासत खोलते सयम वादी का नाम गलत मिठु पिता गुलाब दर्ज हो गया। जब कि वास्तविक में जीतमल पिता गुलाब दर्ज होना चाहिये था। इसलिये वादी ने उक्त वाद बाबत् घोषणा का अपना नाम का शुद्धि के साथ माफिक हिस्से अनुसार जोड़ने बाबत् पेश किया है। वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 197 में क्रम संख्या 04 पर मिठु पिता गुलाब नाम गलत है। जब कि अन्य जमाबन्दी ग्राम सिरोदनिया की जमाबन्दी खाता

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

संख्या 17 में जीतमल पिता गुलाब दर्ज है। पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण खोलते समय मेरे बोलते नाम मिठु दर्ज कर दिया बिना जांच किये दुसरों के कहने से नाम मिठु बता दिया गया है जिससे मेरा वास्तविक नाम जीतमल के बजाय राजस्व रेकॉर्ड में मिठु दर्ज हो गया है उसको दुरस्त खातेदारी घोषणा का वादपत्र पेश है। मेरे राशन कार्ड, जनआधार कार्ड, वोटर आई. डी., आधार कार्ड, में मेरा नाम जीतमल पिता गुलाब है एवं इसी नाम से मुझे पुकारा जाता है। मिठु पिता गुलाब के नाम का कोई मेरे पिता के पुत्र नहीं है केवल जीतमल ही पुत्र है। मुझे कृषि भुमि पर ऋण वगैरहा लेने से जमीन की नकले निकलवाई तब मुझे गलत नाम का मुझे पता चला एवं जानकारी हुई। भुमि का नामान्तरकरण के समय में बाहर था एवं मेरे भाईयों के नाम के साथ मेरा नाम मीठु भुल से लिखा गया है जबकी मेरा नाम जीतमल है। राजस्व रेकार्ड में मिस्टेक हुई है जिसे सुधारने हेतु यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् खातेदारी एवं घोषणा का वाद पेश किया जा रहा है। अतः निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी नम्बर 448, 449, 450, 451 कुल किता 04 कुल रकबा 1.5100 हैक्टेयर स्थित होकर वादी सह खातेदार में मिठु पिता गुलाब गलत दर्ज है जबकि जीतमल पिता गुलाब होनी चाहिये था, तथा मिठु पिता गुलाब नाम का मेरे पिता का कोई पुत्र नहीं है व ताईद में शपथ पत्र, जनाधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र राशनकार्ड आधार कार्ड संलग्न है। वादी के रिकॉर्ड में सुधार कर मिठु के बजाय जीतमल पिता गुलाब दर्ज करने का वादी का कब्जा काश्त होने से वादी खातेदार टीनेन्ट घोषित किया जाने हेतु घोषणा की डिक्री जारी फरमाई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी संख्या 01 पेरोकार सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया कि राजस्व ग्राम ताल के खाता संख्या 179 में मिठु पिता गुलाब दर्ज रिकॉर्ड है। वादी के दस्तावेज पहचान पत्र, मौका पर्चा, शपथ पत्र अनुसार जीतमल पिता गुलाब अंकित है। प्रतिवादी संख्या 02 से 06 की ओर से स्वीकारोत्मक जवाब पेश किया गया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 निम्न प्रकार हैः–

88. Suits for declaration of right—

(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

सहायक कलेक्टर
देवगढ,जिला-राजसमन्द

(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.

(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.

(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.

वादी ने ओर कोई साक्ष्य, सबूत पेश नही करना चाहा। अधिवक्ता वादी को सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो जाहिर आया कि वादी स्वयं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य के जरिये अपने वादपत्र को सिद्व करने में सफल रहा है।

अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार किया जाकर वादी के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां ग्राम ताल पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2076–2076 के खाता संख्या 448, 449, 450, 451 में वादी का नाम मिठु पिता गुलाब के बजाय जीतमल पिता गुलाब दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05 / 02 / 2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़
जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला राजसमन्द

भोजा बनाम सरकार
13 / 2024 (रे0वाद)
निर्णय दिनांक 05 / 02 / 2025

मूल वाद मे डिक्री (आदेश 20 नियम 6 व 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी :– अर्चना चौधरी आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :– 13 / 2024

अनवान

1. जीतमल पिता गुलाब जाति बावरी निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
–वादी

बनाम

1 राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ जिला राजसमन्द
2. कमली पुत्री गुलाब जाति बावरी निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. चुनीबाई पत्नि गुलाब जाति बावरी निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. मांगु पिता गुलाब जाति बावरी निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
5. मोहन पिता गुलाब जाति बावरी निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
6. सोवनी पुत्री गुलाब जाति बावरी निवासी ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–
वादी की ओर से – श्री लूम्बसिंह, अधिवक्ता।
प्रतिवादी की ओर से– पैरोकार सरकार

में इस आशय मे दिनांक 05 / 02 / 2025 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमियां ग्राम ताल पटवार हल्का ताल तहसील देवगढ़ की जमाबन्दी संवत् 2076–2076 के खाता संख्या 448, 449, 450, 451 में वादी का नाम मिठु पिता गुलाब के बजाय जीतमल पिता गुलाब दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावें। पालनार्थ तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें। इसी अनुरूप डिक्री पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05 / 02 / 2025 को मेरे द्वारा लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया गया।

सहायक कलेक्टर, देवगढ़ जिला राजसमन्द (राज.)

(अर्चना चौधरी R.A.S.)
सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द